भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 998
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण

998. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर रानाघाट निर्वाचन क्षेत्र में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं अथवा पहलें शुरू की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) : संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। इसलिए, देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, निष्पादित करना और संचालित करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सुविधा प्रदान करता रहा है। एसबीएम को पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, क्षमता निर्माण पहल, आईईसी और व्यवहार परिवर्तन अभियानों को बढ़ावा देकर और अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमताओं में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा सके।

राष्ट्रीय स्तर पर एसबीएयू के तहत शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण नहीं रखा जाता है। पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण का राज्य द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण इस प्रकार है:

वार्डों की कुल संख्या	अपशिष्ट सृजन (एमटी/डी)	100% डोर टू डोर कलेक्शन वाले वार्ड	100% स्रोत पृथक्करण वाले वार्ड
2973	7876	2527	1668

(ग) और (घ): एसबीएम-यू 2.0 में पश्चिम बंगाल का आवंटन ₹1449.30 करोड़ रुपए है। पश्चिम बंगाल राज्य ने 1438.06 करोड़ रुपये की एक कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें एसडब्ल्यूएम प्रसंस्करण संयंत्र, ट्रांसफर स्टेशन, पुराने अपशिष्ट/डंपसाइट का बायो-रेमेडिएशन, सी एंड डी अपशिष्ट प्रोसेसिंग, मैकेनिकल रोड स्वीपर, सेसपूल टैंकर, एसटीपी, सेप्टेज रिसीविंग फैसिलिटी आदि शामिल हैं, जिनमें से सभी को राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

*****